संख्या-17/4365/71-2-14-एस-18/2014

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 24 दिसम्बर, 2014**

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में संस्थान के अंतर्गत मेडिकल कालेज हेतु 300 बेडेड पुरूष छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2676/रिम्सएण्डआर/2014-15 दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में संस्थान के अंतर्गत में संस्थान के अंतर्गत मेडिकल कालेज हेतु 300 बेडेड पुरूष छात्रावास के निर्माण हेतु रू0 19,58,03,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 7,83,21,000/- (रूपया सात करोड़ तिरासी लाख इकीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी।
3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसकी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
4. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर-सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
5. संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
6. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप संस्थान द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
7. प्रायोजना प्रस्ताव में वाह्य स्थल विकास कार्य हेतु एकमुश्त धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जिसे यथावत अनुमन्य किया गया है, परन्तु वाह्य स्थल विकास के कार्यो का विस्तृत आगणन संबंधित जनपद में शिड्यूल आफ रेट्स पर गठित कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
8. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैस-नये कार्य बढाना, डाइंग एवं डिजाइन में परिवर्तन, अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/डाइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर संस्थान द्वारा 03 माह के अंदर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. संस्थान द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त कार्य की वर्तमान तभा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे संस्थान अपने स्तर से सुनिश्चित करेगा।
10. वित्त बजट-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-7-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-05-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/2566/दस-2014, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-17/4365(1)/71-2-14-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, इटावा।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4 ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in